



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम, जयपुर
मुख्यालय बनीपार्क फायर स्टेशन जयपुर

क्रमांक:- एफ.9()आ.फा./न.नि.ज/16/1738 दिनांक:- 13/1/16

प्रेषित:-

श्री रिषी मेहता,
पुत्र श्री विजय महता,
निवासी सी 15 जुमना,
नगर सोडाला जयपुर।

विषय:- आवेदित स्थल प्लॉट न: 7 वैशाली इन्कलेव गॉंधी पथ वैशाली नगर जयपुर में निर्मित किये जाने भवन की अस्थाई फायर अनापत्ति बाबत।

प्रसंग:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2015 के सदर्थ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा दिनांक 27.07.2015 को इस विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बहुमंजिला इमारत/परिसर निर्माण से पूर्व अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति चाही है। आवेदित स्थल का मौका निरीक्षण करवाया गया आवेदक श्री रिषी मेहता पुत्र श्री विजय महता प्लॉट न: 7 वैशाली इन्कलेव गॉंधी पथ वैशाली नगर जयपुर में उक्त भूखण्ड में बहुमंजिला इमारत/परिसर का निर्माण सलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के अनुरूप अग्निशमन दृष्टि से निम्न शर्तों की पालना करने को बाध्य करते हुये अग्निशमन की अस्थाई अभिवंशा जारी की जाती है।

1. भवन का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम जयपुर/रीको द्वारा स्वीकृत मानचित्रानुसार करना होगा।
2. निर्माण किये जाने वाले भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर लिफ्ट व फायर स्टेयर केस एवम् नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
3. निर्माण किये जाने वाले बहुमंजिला भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार फायर हाईड्रेंट मय होज व नोजल, होजरील होज, फायर एक्सटिंग्यूशर, एम.सी.पी हूटर, पी.ए सिस्टम फायर डिटेक्शन सिस्टम मय फायर पेनल, फायर स्प्रिंकलर, एमरजेन्सी लाईट, अण्डर ग्राउण्ड व ओवर हैड फायर वाटर का टैंक मय पम्प/पम्प यूनिट आदि लगाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को बेसमेन्ट, स्टील्ट, प्रथम से नवी मजिल व टैरस तक 29.75 मीटर ऊंचाई की अस्थाई फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शों में दर्शाई गई मान्य होगी।
5. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारों ओर ऐरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रभावित स्थान तक पहुंचने हेतु व चारों तरफ धुमने व कार्य करने के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड एवम् जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 के अनुरूप न्यूनतम 20 फुट खाली स्थान (गलीयारा) रखना होगा एवम् उक्त रखे गये खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछाजन व बाल्कनी का निर्माण निषेध होगा।
6. अस्थाई अनापत्ति अभिवंशा के स्वीकृत नक्शों में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि सम्बन्धी कोई प्रकरण विचाराधीन विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तर देना होगा।

Partner/Auth. Sign.

Partner/Auth. Sign.

सम्बन्ध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यह पत्र इस बाबत बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा।

7. फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे उनका परीक्षण व निरीक्षण निम्न हरताक्षरकर्ता से करवाकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही भवन को उपयोग में लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/ आवेदक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. भवन में धुआँ निकासी के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी व एन.बी.सी के अनुरूप रिफ्यूजी ऐरिया छोड़ना होगा।
9. जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 की पालना अनिवार्य होगा।
10. नियमानुसार निर्धारित शुल्क/राशि आवेदक द्वारा नगर निगम कोष में जमा करवायी जानी होगी, इसके अभाव में यह अभिशंषा पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
11. यह अस्थायी अभिशंषा पत्र जारी करने की दिनांक से तीन वर्ष हेतु मान्य होगा। यदि इस अवधि में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होता है तो इसका नवीनीकरण करवाए जाने हेतु पुनः आवेदन एवं नियमानुसार निर्धारित शुल्क/राशि निगम कोष में जमा कर मौका निरीक्षण करवायी जाकर अभिशंषा पत्र की अवधि में वृद्धि करवायी जानी होगी अन्यथा अवधि समाप्ति पश्चात अमानता राशि जप्त की जा सकेगी। भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात उक्त भवन/परिसर में स्थापित किये गये स्थिर/अस्थिर अग्निशमन यन्त्र/उपकरणों का निरीक्षण करवाया जाकर प्रमाण-पत्र लेना होगा। उक्त शर्तों में किसी भी प्रकार का उल्लंघन किये जाने पर नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत भवन को सील किया जा सकेगा तथा आवेदक की जमा अमानता शुल्क को जप्त किया जा सकेगा।

(संजय शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

For Platinum Buildhome

Partner/Auth. Sign.

For Platinum Buildhome

Partner/Auth. Sign.